संख्या: 13/2015/162 प्रो0/51-2015-14(03)/2012

प्रेषक,

इन्द राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ :दिनांक 23 मार्च, 2015

विषय:- राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित आपके पत्र संख्या: 925/नाजिर-नौ-ए, दिनांक 13 जनवरी, 2015 के साथ प्राप्त 29 देयकों के भुगतान हेतु कुल धनराशि रुपये 4,79,725-00 (रुपये चार लाख उन्यासी हजार सात सौ पच्चीस मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक -29 मूलदेयक ।

भवदीय

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 13/2015/162 (1)प्रो/51-2015-14(03)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभा-5,
3- कोषाधिकारी, इलाहाबाद ।
4- प्रबन्ध निदेशक , उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इलाहाबाद/कानपुर नगर/वाराणसी/आजमगढ़ ।
6- दास ट्रावेल्स, 10-ए, माल, वाराणसी कैण्ट-221001,
7- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।